Digitally signed by SATISH KUMAR RAGHUWANSHI
Date: 2020.08.05 14:25:11 IST
Reason: Establishment Certificate
Location: Labour Department, GoMP

प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिए)

[मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958]

स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र

भाग - क

कार्यालय :District Labour Office, INDORE

(1) ऑनलाइन पंजीयन चिन्ह एवं क्रमांक :C/1355141 , पंजीयन क्रं/तिथि :

(2) स्थापना का नाम : SHRI SIDDHI VINAYAK CONSTRUCTION

(3) स्थापना के (डाक का) पूरा पता : **62,GUMASTA NAGAR,INDORE**

(4) स्थापना के कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप : **Any Others Commercial Establishment**

(5) मालिक, प्रबन्धक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो :

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	BASANT KHATOD	RAM CHANDRAJI KHATOD	62,GUMASTA NAGAR,INDORE
प्रबन्धक	----	-----	------
अभिकर्ता	---		-----

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता :

स.क्र.	नाम	पद	पता

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या :

	पुरुष	महिला	योग
प्रौढ़	1	0	1
युवा			0
योग	1	0	1

पंजीयन शुल्क: Rs.200

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया हैं, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र., सन 1958) के अंतर्गत दिनाँक 05/08/2020 को पंजीयन की गई है |

निरीक्षक
दुकान एवं स्थापना
अधिनियम 1958 के अंतर्गत

दिनाँक: 05/08/2020

महत्वपूर्ण सूचना :यह प्रमाण पत्र स्थापना का पंजीयन मात्र है जो केवल आपके द्वारा अपलोड किये गए दस्तावेजो एवं जानकारी के अवलोकन के आधार पर जारी किया गया है | इस हेतु किसी भी तरह का भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण नहीं किया गया है | यदि इन दस्तावेजो मे किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा प्रदत पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है |पंजीयन प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक लोन, स्वामित्व एवं संपति विवाद, न्यायालय मे जमानत, GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा | यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है | इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी | दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षरित है अतः मैन्युअल हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है |

वैधानिक सूचना: यह प्रमाण-पत्र बगैर निरीक्षण अथवा सत्यापन के केवल आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर जारी किया गया है अत: असत्य जानकारी पाये जाने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा |